



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

√-215  
18/12/23

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2023/डी-4641

दिनांक:- 15/12/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	9/सी. आई/26	627.00 व.मी.	रिंग रोड परियोजना	जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री प्रताप मीणा	लछमा पत्नी श्री प्रताप व जितेन्द्र पुत्र प्रताप ना.बा स. माता लछमा मीणा	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर

*Seena*

उपायुक्त जोन-9-9  
जविप्रा, जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी (जविप्रा)

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102889

दिनांक 15/12/2023

### लोक सूचना

श्री राजीवा चौधरी पुत्र श्री नाहर सिंह जाति जाट निवासी पी- 2, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **वाणिज्यिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल(हेक्टे.)
1.	ग्राम झोटवाड़ा तह. जयपुर (जयपुर)	श्री राजीवा चौधरी पुत्र श्री नाहरसिंह	1281/305	0.2750

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90- क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)**आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर- भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15/12/2023 को जारी की गयी।

उपायुक्त, जयपुर-7  
प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर

**प्रतिलिपि:-** जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त, जयपुर-7  
प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर